

दामाधात नक्लों आदिशा ४०. ६/०१/२ साद स. ०५/२०१२ धारा १४३ भरोले
रावनगढ़ पट्टी इवां छोलेज V/S उल्लाट ओजा आनन्दपुर परगना ग्रामपाल
तार्ड ८/०/२०१२ -मायाताम् S.D.M.G. (1) G.N. ६४०१

न्यायालय उप जिलाधिकारी, सदर फर्खाबाद।

वाद संख्या-४/२०१२

ग्राम-मानिकपुर

रविनाथ सिंह डिग्री कालेज बनाम

धारा-१४३ ज० विभिन्न

परगना-मोहम्मदाबाद परद्वासदर

सरकार

निर्णय

x ——— x



प्रस्तुत वाद अजयपाल सिंह प्रबन्धक रविनाथ सिंह डिग्री कालेज

मानिकपुर फर्खाबाद ने दिनांक २१-८-१२ को इस फथन के साथ संस्थित किया गया है कि मानिकपुर परगना मोहम्मदाबाद के गाठा संख्या १३३ रक्बा १. ७२३० से १.०१२००२.५ एकड़ १०१२० वर्गमीटर भूमि महाक्षिताल के नाम है, पूर्ण स्वामित्व में है एवं भू राजस्व अभिलेखों में भंकित है। उपरोक्त भूमि पर कृषि नहीं होती है। अतः डिग्री कालेज की उपरोक्त भूमि का लगान रहित धारा-१४३ का प्रमाण पत्र निर्गत किये जाने की याचना की है। वाद पत्र के समर्थन में नकल खतोनी १४१९-१४२४, सी० एच० ४१ व ४५, नकल खतोनी संख्या १३५६ फसली व शायथ पत्र दाखिल किये हैं।

उपरोक्त के सम्बन्ध में तहसीलदार सदर फर्खाबाद से जाँच आख्या निर्धारित प्राप्ति पर वाँछित की गई। तहसीलदार फर्खाबाद ने वाद पत्र की जाँच करके जाँच आख्या निर्धारित प्राप्ति सहित दिनांक १५-९-२०१२ को प्रेषित की है, जिसमें उन्होंने उल्लिखित किया है कि ग्राम मानिकपुर परगना मोहम्मदाबाद तहसील सदर स्थित गाठा संख्या १३३ रक्बा १. ७२३ में से १.०१२००२ पर रविनाथ सिंह डिग्री कालेज का भवन व बाउण्डीबाल से घिर हुआ है और कोई कृषि आदि नहीं हो रही है। उपरोक्त भूमि पर डिग्री कालेज का भवन व बाउण्डीबाल से घिर हुआ है। जमीदारों विनाई अधिनियम की धारा १४३ के अन्तर्गत प्रश्नगत भूमि को अकृषिक घोषित किया जाना न्यायोचित प्रतीत होता है।

ऐसे पत्रावली में उपलब्ध तहसीलदार सदर फर्खाबाद की आख्या दिनांक १५-९-१२ एवं नकल खतोनी १४१९-१४२४, सी० एच० का सम्बन्ध स्पष्ट करने से स्पष्ट कि ग्राम मानिकपुर परगना मोहम्मदाबाद स्थित गाठा संख्या १३३ रक्बा १. ७२३ में से १.०१२००२ भूमि पर कृषि का नहीं हो रहा है। वर्तमान में उपरोक्त भूमि पर डिग्री कालेज का भवन व बाउण्डीबाल से घिर हुआ है। जमीदारों विनाई अधिनियम की धारा १४३ के अन्तर्गत प्रश्नगत भूमि को अकृषिक घोषित किया जाना न्यायोचित प्रतीत होता है।

आदेश

x ——— x

अतः उपरोक्त विवेचना के आधार पर अजयपाल सिंह प्रबन्धक श्री रविनाथ सिंह डिग्री कालेज मानिकपुर फर्खाबाद के नाम

प्रबन्धक

श्री रविनाथ सिंह डिग्री कालेज समिति

मानिकपुर-फर्खाबाद

— ४६१-२ — 2 —



१२६ (२)

स्वतं ग्राम मानिकपुर परगना बोद्धनद जिल्हे तहसील सदर का दत्तेनी
१४१९-१४२४ फसली के यता संख्या १२८ वे गाँटा संख्या १३३ रुपया १.७२
भूमि के १.०१२६० भूमि को जमीनदारी विनाया अधिनियम की दारा १४३
के अन्तर्गत इस दार्ता के सभ्य गृहाधापित वी जाती है यि दिवि
भक्षण भूमि उच्च भूमि पर हृषि, मत्स्य पालन, लुदकृष्ट पालन बागवान आदि
हृषि के सम्बन्धित कार्य देते भूमि का उपयोग किया जाता है तो धारा
१४४ जमीदारी विनाया अधिनियम सर्वं भूमियोगियनियम के अन्तर्गत तत्का
तहसीलदार आवश्यक है एवं दारी करेगी। अदिवा वारी से प्रति तहसीलदार
सदर फर्खाबाद सर्व उप निवन्ध सदर फर्खाबाद को तदनुसार भू-उभितेवे
में आवश्यक इनक्रम लिये जाने देते भैंगी जाए। बाद आवश्यक वार्षिक
पत्रावली दर्शित दफ्तर हो।

०६/०७/२०२२
उप जिलाधिकारी, सदर
फर्खाबाद।

धर्मप्रसाद-छला जरियुला-



प्रार्थना पत्र स. १०४४३

दिनांक ०१/०७/२०२२

प्रार्थी का नाम उमेश भट्ट आवश्यक

तैयारी का दिनांक ०२/०७/२०२२

वितरण का दिनांक ०२/०७/२०२२

तकमीना ३-१-

सत्य प्रतिलिपि

०२/०७/२०२२
राजस्व अम्लेजालद
कलेक्टर, फर्खाबाद

3P
प्रबन्धक

श्री रविनाथ सिंह डिग्री कालेज समिति
मानिकपुर-फर्खाबाद